



पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई०पी०सं०- ०३-११
क्रमांक- ६६/२०१८
आरबीई सं०-५८/२०१८
सं० ई/९/१०/भाग-VIII/IV

दिनांक २-०५-२०१८

सचिव / महाप्रबन्धक
सचिव / अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी / स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:- छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार संशोधन-पूर्व वेतनमान में अपने वेतन का आहरण जारी रखने वाले रेल कर्मचारियों को ०१.०१.२०१८ से लागू महंगाई भत्ते की दर।

रेलवे बोर्ड का पत्र सं० पीसी-४/२००८/१/१/२/१ दिनांक १२.०४.२०१८ की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक / यथोपरि

(आर०के० पाण्डेय)

सहायि / मुख्या०-११

कृते महाप्रबन्धक / कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- १- महामंत्री / एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन / गोरखपुर - ४० प्रतियों में।
- २- महामंत्री / प्रमोटी अधिकारी संघ / पूउरे / गोरखपुर - ०२ प्रतियों में।
- ३- महामंत्री / रेसुब एशोसियेशन / पूउरे / गोरखपुर - ०२ प्रतियों में।
- ४- पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ / गोरखपुर - ०१ प्रति में।
- ५- महामंत्री / एससी / एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन / गोर०-०२ प्रतियों में।
- ६- मुकार्याधी / एमपीपी को वेबसाइट पर अपलोड हेतु - ०१ प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक / कार्मिक

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

S.No. PC-VI/385

No. PC-VI/2008/1/7/2/1

The GMs/CPO(R),
All Zonal Railways & Production Units,
(as per mailing list)

[Signature]
RBE No. 58/2018
New Delhi, dated (2.4.2018)

Sub: Rate of Dearness Allowance applicable w.e.f. from 01.01.2018 to
Railway employees continuing to draw their pay in the pre-revised pay
scale/ grade pay as per 6th Central Pay Commission.

Please refer to this Ministry's letter of even number dated 17.11.2017 (S.No. VI/379, RBE No.169/2017) revising the rates of Dearness Allowance w.e.f. 01.01.2018 in respect of railway employees continuing to draw their pay in the pre-revised pay scale/ grade pay as per 6th Central Pay Commission.

2. The rate of DA admissible to railway employees of above category shall be enhanced from the existing rate of 139% to 142% w.e.f. 01.01.2018.

3. The provisions contained in Paras 2,4 & 5 of this Ministry's letter dated 09.09.2008 (S.No. PC-VI/3, RBE No.106/2008) shall continue to be applicable while regulating Dearness Allowance under these orders.

4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Railways.

(Authority- MoF's OM No.1/3/2008-E.II(B) dated 28.3.2018).

[Signature]
By: Director, Railway Board
Railway Board

No. PC-VI/2008/1/7/2/1

New Delhi, India

Copy to the Deputy Controller and Auditor General of India (Railways), Room No. 101,
Rail Bhavan, New Delhi (with 40 spares).

[Signature]
21/4/18

For Financial Controller

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

क्र.सं. पी सी-VI/ 385

सं. पी सी- VI/2008/117/2/1

आर डी ई सं. 72018

नई दिल्ली, दिनांक 04.04.2018

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(आर),
सर्व केंद्रीय रेल एवं उत्पादन इकाइयां,
(अनुसूची के अनुसार)

विषय: छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार संशोधन-पूर्व वेतनमान में अपनी वेतन का
आहरण जारी रखने वाले रेल कर्मचारियों को 01.01.2018 से लागू महंगाई भत्ते की
दर।

रेल मंत्रालय के दिनांक 17.11.2017 के समसंख्यक पत्र (क्रम सं. पी सी - 10376 आदेश सं.
सं. 169/2017) जिसमें उन रेल कर्मचारियों, जो संशोधनपूर्व वेतनमान (छठे केंद्रीय वेतन आयोग
के वेतनमान) में अपना वेतन आहरण कर रहे हैं, के संबंध में दिनांक 01.07.2017 से महंगाई भत्ते
की दरों में संशोधन करने के संबंध में है, का अवलोकन करें।

2. उपरोक्त कोटि के रेल कर्मचारियों के लिए लागू महंगाई भत्ते की दर को दिनांक
01.01.2018 से मौजूदा 139% से 142% तक बढ़ा दिया जाएगा।

3. इस मंत्रालय के 09.09.2008 के समसंख्यक पत्र (क्रम सं. पी सी - VI/3, आदेश सं.
106/2008), के पैरा 3, 4 एवं 5 में निहित उपबंध इन आदेशों के अंतर्गत महंगाई भत्ते का
वितरित करने के समय लागू किए जाते रहेंगे।

4. इसी रेल मंत्रालय के वित्त निदेशात्मक की सहमति से जारी किया जा रहा है।

[प्रतिकार: वित्त मंत्रालय का दिनांक 23.03.2018 का का.ता. सं. 1/3/2008-ई.11(वी)]

(यू. के. तिवारी)

उप निदेशक/वेतन आयोग-VI

रेलवे बोर्ड

सं. पी सी-VI/2008/117/2/1

नई दिल्ली, दिनांक 04.04.2018

प्रतिलिपि उप निबंधक एवं महालेखा परीक्षक (रेल), नई दिल्ली को अर्गोपेत (40) जमा/वेतन प्रणाली

कृते वित्त आयुक्त, रेल.